

द्वारा
यालय उपखण्ड

अधिकारी

कटूमर

2/9/20

तारीख रजू

सुमन

बनाम

शिब्वी सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.07.2020	<p>वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थीया ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जेमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायलान को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अपलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया के व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 728, 738, 743, 533, 555, 1538, 1540, 1539, 730, 732, 733, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 744, 747, 1513, 383, 582, 722, वाके ग्राम दौंतिया एंव खसरा नं0 10, वाके ग्राम चैनपुरा व खसरा नं0 1223, 1224, 1227, 1228, वाके ग्राम डहरीन दौंतवाड तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 10.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p>10.9.20</p> <p>कुभाव कोरेकेन उप०/P.0 शाहब खोरेकेन आवबदी दिनांक 11-2-21 ने पेश हो।</p> <p>11-2-21</p> <p>उपस्थित / साक्षिक आदेश दिनांक 9-7-20 30/6/21 पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)</p>	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जय

तारीख हुकम

29/12/24

हुकम संकेत नं./दि.
 राज्य-जिला-को.
 एकावली विभाग 1/भरतपुर
 को पत्र हो।

09/1/24

करीब जमीं उपस्थित नहीं थाये कभीक
 व उनके जमीं को का-2 आकार दिनांक
 गड कीडि उपस्थित नहीं आया। अतः
 जमीं का प्रवेना - पर म-राठ कभीक
 जमीं के अक्ष पैरि - अक्ष म-री
 में जमीं करेण ए खोजित छिना जमीं
 से पत्रावली मेल हुजा। देका गूठ गड
 के साथ सहित ले हुजा।

SDM

उपलण्ड अधिकारी
 कतूमर (अलवर)

संख्या नं. २१७५/१८

तारीख रजु.....

शिबली

बनाम

हरजाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/06/18	<p>वकील शर्मा उपस्थित। मट डाठ पत्र 212 RTA के वकील शर्मा ने मूल कागजों साथ पेश किया। रजु वॉजका हो/प्रदुत १०००० वसंलस पकरि का अल्लोकर विक्रम गण। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का कौलर एवं अपीलगीय क्षति शर्मा के पक्ष में बनना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अशाफीगण को जर्ज अलीम अलाई निर्दिष्टाशा जबाब पेश होने तक पाबन्द किया जाएगा कि वे अंत क्र. नं० 535, 564, 568, 572, 579, 525, 471/1032, 573, 525 वाले ग्राम उमोढाना तहसील कठूमर की लिाई एवं मोके की कतमात स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें, प्रथा स्थिति बनाए रखें।</p> <p>अशाफीगण को गोर्डर ए।।।।। उक्त आदेश कीपालन में कोई उजु होता दिनांक 28/6/18 को पेश करे कि क्या ना उक्त आदेश को सारा देखि वरि एक कोर्ड का स्थिति जाये अशाफीगण जजे कोर्डर वलर हो कल बली दिने 28-6-18 कोदेश हो</p>	<p>2492 29.6.18</p>

अधिकारी
कठूमर अलवर

अधिकारी

उपखण्ड

कटुमार जिला अदालत

2/107/2020

भगवानसिंह बगैरा

मुकन्दा उर्फ श्योला बगैरा

बनाम


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

29.07.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 702, 886, 892, 894, 895, बाके ग्राम गारु तहसील कटुमार के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मोके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 29.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कटुमार (अलवर) र

29.9.2020
मुद्रांक करीब 11:00 P.M.
राष्ट्र... Covid-19
पत्रावली दिनांक 19.1.2021
जो पेश हो

19/1

वकील प्रार्थी उपस्थित। अज्ञात संख्या 213 की आदेश से गेहेन्डु सिंह राजपूत ने वकील को जमा जवाब पेश किया। शांतिमल किशोर जमा। अज्ञात सं-1 कोर्ट हो गया जिसकी प्रत्येक 02/14 पेश किया शांतिमल किशोर जमा प्रत्येक 02/14 पेश की गई प्रत्येक 02/14 पेश किया जाता है संशोधित रिकॉर्ड पेश है। शेष अज्ञात संख्या 5/5 की तलबी अज्ञात पत्रावली दिनांक 28/11/20 को पेश है।

मुद्रण दिनांक 1/11/2023 को प्रेषित
सर्व वस्तु खरीदने के लिए
आदेश दिनांक 2/11/2023 को प्रेषित है


SDok

Alpali

खरीदने वाले को खरीदने के लिए
बस 32 राउन्ड को खरीदने के लिए
रहे। इनका प्रारंभिक बिल 32 RTA खरीदने
के कारण खरीदने योग्य नहीं
जाता है। इनका बिल 32 RTA
खरीदने के लिए आदेश दिनांक 2/11/2023
को नया नया नया नया नया
जाता है। नया नया नया नया नया
आदेश दिनांक 2/11/2023 को प्रेषित है।
नया नया नया नया नया नया
नया नया नया नया नया नया
नया नया नया नया नया नया

SDok
उपस्थान अधिकारी
कठुमार (अलपट)

3/13/22

तारीख रजू

8/2/2019

बनाम राज ठ सहाल

क्र. हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
6/6/22	<p>वकील श्री उपाध्याय राज ठ सहाल - पत्र 136/22A जमी के वकील श्री अजय अग्रवाल को ने पत्र लिखा। कागजलिपि दिनांक 15/7/22 को पत्र के पैकिंग को 15/7/22 को पत्र के 15/7/22 को पत्र के</p> <p style="text-align: right;">S.D.</p>	
15/7/22	<p>वकील श्री उपाध्याय सापेक्ष दिनांक को पत्र लिखा कि 22/7/22 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर</p>	
22/7/22	<p>दुबाव करोकन 100/P.O. सापेक्ष दिनांक 23/8/22 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;">S.D.</p>	
23/8/22	<p>वकील श्री उपाध्याय सापेक्ष दिनांक 16/6/22 को पत्र लिखा कि 26/8/22 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर</p>	
26/8/22	<p>वकील श्री उपाध्याय सापेक्ष दिनांक 16/6/22 को पत्र लिखा कि 16/8/22 को पत्र हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर अलवर</p>	

